

(5)

राजस्थान सरकार
स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग
प्राथमिक शिक्षा विभाग (आयोजना) अनुभाग

क्रम सं. प. 15 (5) शिक्षा-1/प्रा.शि./2003

जयपुर, दिनांक: 15/11/06

आयुक्त,
प्राथमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर।

विषय:- राज्य में निजी क्षेत्र में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2006-07 के लिए प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने बाबत


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार निम्नलिखित 2 गैर सरकारी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को वर्ष 2006-07 में संस्था के नाम के सम्मुख कॉलेज संख्या 3 में अंकित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कॉलेज संख्या 4 में अंकित सीटों की संख्या के साथ प्रवेश प्रक्रिया में होने वाली काउन्सलिंग में सम्मिलित करने की रवीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	2	3	4
1	श्री. मिश्री लाल दुबे महिला टी.टी. कॉलेज, कैंकडी, अजमेर	एस.टी.सी.	50
2	सेठ मोती लाल टीचर्स एज्युकेशन कॉलेज, डुन्डुनू	एस.टी.सी.	50


उपरोक्त वर्णित संस्थाओं में निम्न शर्तों के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करवाई जावे।

- 1 प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सीनियर सैकण्डरी अकादमिक परीक्षा (10+2) अथवा समकक्ष परीक्षा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिये, इन परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान अजमेर के समकक्ष राज्य सरकार की मान्यता पर ही प्रवेश दिया जाये। इसी के साथ अन्यर्था को सैकण्डरी अथवा समकक्ष परीक्षा न्यूनतम 5 विषयों के साथ जिनमें से 3 विषय हिन्दी, अंग्रेजी व गणित आवश्यक रूप से हों, उत्तीर्ण होना चाहिये।
- 2 शैक्षिक सत्र 2006-07 में बीएसटीसी पाठ्यक्रम में प्रवेश अर्हकारी परीक्षा अर्थात् सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर तैयार वरीयता सूची के आधार पर किया जायेगा।
- 3 विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों/संस्थाओं में आवंटित सीटों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं विकलांगों आदि के लिए आरक्षण राज्य सरकार के वर्तमान में प्रभावी नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 4 पाठ्यक्रम में महिलाओं हेतु आरक्षित सीटों में से 10 प्रतिशत सीटें विधवा/परित्यक्ता महिलाओं हेतु आरक्षित रखी जायेंगी।
- 5 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयु सीमा राज्य सरकार के वर्तमान में प्रचलित नियमों के अनुसार रखी जायेगी।



15.11.2006
शासन उप सचिव
प्राथमिक शिक्षा (आयोजना)

प्रतिनिधि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार
- 2 निजी सचिव, प्रमुख शाखा सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
- 3 निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा।
- 4 पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षार्थ, राजस्थान, बीकानेर।
- 5 निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
- 6 प्रधानाचार्य, विद्या शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोनर उदयपुर।
- 7 संबंधित संस्था
- 8 संबंधित पत्रावली


PRINCIPAL

Seih Mot. Lal Teachers Education College


सचिव
से.जे. एल. एज्युकेशन सोसल्टी
कू. फु. 333004 (राज.)


15.11.2006